संख्या-601/चौवालिस-1/1985

प्रेषक,

श्री रमेश चन्द्र त्रिपाठी,
सचिव,
सार्वजनिक उद्यम विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य के समस्त सार्वजनिक उद्यमों/नोयडा के अध्यक्ष/
प्रबन्ध निदेशक।

लखनऊ : दिनांक 8 नवम्बर, 1985।

महोदय,

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के समस्त सार्वजनिक उद्यमों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों/परिसंघों आदि के अध्यक्ष एवं सचिव को संघ के कार्य के निमित्त एक कलेन्डर वर्ष में अधिकतम (सात) 7 दिन का तथा सेवा संघों की कार्यकारिणी के सदस्यों को कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने हेतु अधिकतम (चार) 4 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। यह सुविधा निम्न प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य होगी :-

(क) अध्यक्ष एवं सचिव अवकाश प्रार्थना-पत्र में सेवा संघ का नाम, संघ मान्यता प्राप्त है या नहीं, उनके द्वारा धारित पद का नाम, तथा संघ से संबंधित कार्य जिसके निमित्त अवकाश मांगा गया है आदि सूचना देते हुये उसे स्वीकृत करायेंगे।

(ख) कार्यकारिणी के केवल उन्हीं सदस्यों को प्रार्थना-पत्र देने पर यह अवकाश सुविधा अनुमन्य होगी जो कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने हेतु बैठक के स्थान से बाहर से आयें। स्थानीय सदस्यों को यह सुविधा देय न होगी।

(ग) जिन सेवा संघों के पदाधिकारियों के वार्षिक चुनाव दो वर्ष से अधिक अवधि से नहीं हुये हैं उनके पदाधिकारियों को उक्त सुविधा अनुमन्य न होगी।

(घ) उपरोक्त विशेष आकस्मिक अवकाश की गणना सामान्य आकस्मिक अवकाश या अन्य किसी प्रकृति के अवकाश के साथ न की जायेगी।

2-आपसे अनुरोध है कि शासन के उक्त निर्णय से अपने अधीन समस्त मान्यता प्राप्त संघों को जानकारी करा दें तथा उपरोक्तानुसार प्रश्नगत सुविधा का दिया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
रमेश चन्द्र त्रिपाठी,
सचिव।

संख्या-601 (1)/चौवालिस-1/1985, उक्त दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) शासन के सम्बन्धित सचिव/विशेष सचिव।
(2) शासन के सम्बन्धित अनुभाग।
(3) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 (6 प्रतियों में)।
(4) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ (10 प्रतियां)।

आज्ञा से,
सत्याचरण श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव।